

छात्र खुदकुशी पर हो गंभीर संवाद



यहां रहने के



हरिवंश चतुर्वेदी | महानिदेशक, आईआईएलएम

आ आईटी, मुंबई के बीटेक, द्वितीय वर्ष के छात्र साहिल वोकाडे की आत्महत्या ने एक बार फिर देश के उच्च शिक्षा जगत में गंभीर बहस छेड़ दी है। इससे पहले आईआईटी, दिल्ली और कानपुर में भी दो छात्रों ने खुदकुशी कर ली थी, जिससे यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों आईआईटी व केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों में, जहां हर प्रकार की सुविधाएं केंद्र सरकार द्वारा मुहैया की जाती हैं, छात्र खुदकुशी करने जैसे दुखद कदम उठाते हैं?

देश के विश्वविद्यालय और कॉलेज कैम्पस में छात्रों द्वारा आत्महत्या की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। पिछले तीन वर्षों में उच्च शिक्षण संस्थानों में सालाना करीब 14 हजार आत्महत्याएं हुईं, जबकि वर्ष 2014-15 में यह संख्या आठ हजार से कम थी। जाहिर है, हमारी युवा पीढ़ी के मानसिक हालात ठीक नहीं हैं। अगर हमें देश को अगले 20 वर्षों में एक खुशहाल और विकसित राष्ट्र बनाना है, तो इस समस्या को जड़ से खत्म करना होगा। नौजवान पीढ़ी को जब हम देश के भविष्य का निर्माता समझते हैं, तो उन्हें मानसिक रूप से खुरे हालात में छोड़ नहीं सकते।

आईआईटी, मुंबई एक प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थान है, पर साहिल वोकाडे की आत्महत्या कोई पहली घटना नहीं है। पिछले दो दशक में यहां छात्रों की अस्वाभाविक मृत्यु के 171 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 120 तो पिछले दस वर्षों में ही हुए हैं। ये आंकड़े ग्लोबल आईआईटी एलुमनाई और मीडिया रिपोर्टों से मिले हैं। दुख की बात है कि युवाओं की खुदकुशी से कुछ दिनों तक तो मीडिया में सनसनी बनी रहती है, फिर हम भूल जाते हैं। ये इक्का-दुक्का या व्यक्तिगत बीमारी के फलस्वरूप होने वाली घटनाएं नहीं हैं, बल्कि इनके गहरे कारण हमारे सामाजिक ढांचे, अर्थव्यवस्था और संकटग्रस्त उच्च शिक्षा में छिपे हुए हैं।

देश के जाने-माने हैदराबाद विश्वविद्यालय में छात्र-आत्महत्या की एक दर्दनाक घटना 17 जनवरी, 2016

आत्महत्या की घटनाएं व्यक्तिगत बीमारी का नतीजा नहीं हैं, बल्कि इनके गहरे कारण हमारे सामाजिक ढांचे, अर्थव्यवस्था और संकटग्रस्त उच्च शिक्षा में छिपे हुए हैं।



को घटी थी, जब शोध छात्र रोहित वेमुला ने हॉस्टल के कमरे में खुदकुशी कर ली थी। इस घटना पर भयंकर राजनीतिक बहस छिड़ी और फिर उन कारणों को भुला दिया गया, जिसने रोहित को ऐसा कदम उठाने को मजबूर किया था। उसने मरने से पहले एक नोट छोड़ा था, जिसमें लिखा था, एक इंसान की कीमत उसकी सामाजिक पहचान से लगाई जाती है और इसी कारण उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

परिसरों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर होने वाली बहसों में अक्सर यह कह दिया जाता है कि छात्रों में विपरीत परिस्थितियों को सहने की ताकत होनी चाहिए, और अगर वे कठिनाइयों से घबराकर मौत चुनते हैं, तो यह सिर्फ उन्हीं का दोष है। यह नजरिया हमारे राष्ट्रीय चिंतन और चेतना में मानसिक बीमारियों के प्रति उपेक्षा और हल्केपन को दर्शाता है। आमतौर पर लोग यह सोचते हैं कि आत्महत्या का कारण व्यक्ति की अपनी मानसिक दुर्बलता है और इसके कोई सामाजिक या आर्थिक कारण नहीं हैं, लेकिन क्या हम यह मान लें कि

हमारे संस्थानों में जातिगत और लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं होते? क्या हम यह भी नहीं मानेंगे कि परिसरों में विद्यार्थियों का एक बड़ा वर्ग आर्थिक तंगी का शिकार होता है और समय पर छात्रवृत्ति न मिलने के कारण भी वह आत्महत्या को चुनता है।

रोहित वेमुला की आत्महत्या पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया के बाद यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा शिक्षण परिसरों में मानसिक रोगों की रोकथाम के लिए निर्देश जारी किए गए थे, जिनमें हर कैम्पस में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उपाय सुझाए गए थे। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैम्पस में प्रशिक्षित काउंसलर नियुक्त किए जाने का भी निर्देश दिया गया था, लेकिन क्या ये उपाय समुचित हैं? क्या कुछ गिने-चुने काउंसलर हजारों छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं? छात्रों की मानसिक परेशानियों को समय रहते पहचानने का काम उनके अपने साथी, शिक्षक और स्टाफ कर सकते हैं, परंतु उसके लिए उन सभी का प्रशिक्षित होना जरूरी

होता है। क्या हमारे देश के तमाम विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में ऐसा प्रशिक्षण अभी तक हो पाया है?

छात्रों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 'अमृत कौर बनाम भारत संघ' मामले में मार्च 2025 में न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक नेशनल टास्क फोर्स गठित की थी, जिसे आत्महत्या के कारणों, मौजूदा कानूनों की समीक्षा और वर्तमान संस्थागत व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आत्महत्या रोकने के ठोस उपाय बताने को कहा गया। इस टास्क फोर्स ने मानसिक स्वास्थ्य एवं शिक्षण परिसरों में आत्महत्या की प्रवृत्ति पर राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण किया, जो पहले किसी ने नहीं किया था।

18 मई, 2026 को सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई अपनी अंतरिम रिपोर्ट में टास्क फोर्स ने बताया कि 16,732 उच्च शिक्षण संस्थानों के 12.88 लाख विद्यार्थियों, 1.6 लाख शिक्षकों और 2.26 लाख अभिभावकों के बीच सर्वेक्षण किया गया, जिससे पता चला कि आत्महत्या का कारण व्यक्तिगत मानसिक कमजोरी न होकर युवाओं पर बढ़ता आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत दबाव है। 70 प्रतिशत संस्थाओं में पूर्णकालिक पेशेवर मानसिक रोग चिकित्सक नहीं हैं और सिर्फ चार प्रतिशत संस्थाओं में खुदकुशी को रोकने वाली कोई प्रबंध प्रणाली बनाई गई है।

टास्क फोर्स ने रिपोर्ट में यह भी कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी छात्रों में इन समस्याओं को झेल पाने की कम क्षमता होती है और वे हारकर पढ़ना-लिखना ही छोड़ देते हैं। टास्क फोर्स ने परिसरों में शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों के सभी रिक्त पदों को भरे जाने की सिफारिश भी की। माना यह भी गया कि आत्महत्या के मामलों की तुरंत सूचना संबंधित अधिकारियों को दी जानी चाहिए और हर विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में चौबीस बाई सात मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इलाज उपलब्ध होना चाहिए।

न्यायमूर्ति भट्ट के नेतृत्व वाली यह टास्क फोर्स कैम्पस में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2026 तक पेश करेगी। देश को हर हालत में एक राष्ट्रीय संकल्प लेकर अपने छात्रों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति को समूल नष्ट करना होगा, क्योंकि इस मानवीय त्रासदी को रोक बिना एक खुशहाल समाज और एक विकसित राष्ट्र बनाने का हमारा सपना अधूरा ही रहेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)